मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय – वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 2 / 44 /2001/सात–4{5} भोपाल, दिनांक 26.12.01

प्रति,

समस्त कलेक्टर
म0प्र0

विषयः– आये दिन पटवारियों को बिना जांच के निलंबित न किये जाने के संबंध में ।

संदर्भ :– आयुक्त भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर म0प्र0 का पत्र क्रमांक 1266/स्था0 2/पटवारी/2001 दिनांक 12.4.2001

उपरोक्त विषयक पत्र का कृपया अवलोकन करें, । विभागीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद की बैठक में म0प्र0 पटवारी संघ द्वारा यह बिन्दु बार–बार उठाया जाता है कि पटवारियों को बिना जांच के निलंबित किया जाता है । इस संबंध में आयुक्त, भू–अभिलेख ने भी आपसे निवेदन किया है ।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि पटवारियों को निलंबन /बहाली संबंधी कार्यवाही शासन के नियमानुसार सुनिश्चित कर समय–सीमा में प्रकरणों का निराकरण करने की व्यवस्था करें ।

{जगदीश शर्मा}
उपसचिव
म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग

पृ0 क्र0 भोपाल, दिनांक 26.12.01

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

उप सचिव
म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश

क्रमांक 207/सतर्कता-2/वि.जां./2015 ग्वालियर, दिनांक 11-3-201

प्रति,

कलेक्टर
जिला-समस्त
मध्यप्रदेश ।

विषय :- पटवारियों की शिकायतों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने विषयक ।

निम्नांकित प्रकरण में लेख है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में पटवारियों की शिकायत मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी अथवा आपके द्वारा बिना नोटिस दिये या बिना संबंधित को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निलंबित कर दिया जाता है । अर्थात उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जाता ।

अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसे प्रकरणों मे वर्गीकरण नियमों के अन्तर्गत एवं संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंध का पालन करने का कष्ट करें।

उप आयुक्त
वास्ते आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त
मध्यप्रदेश